

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 159] No. 159] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

सा.का.नि. 216(अ).-केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (3) के साथ पिटत धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता, शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 है।
 - (2) ये 31 मार्च, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(घक) "तत्स्थानीय नए बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खंड (ध) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित तत्स्थानीय नए बैंक अभिप्रेत है ;'

3. उक्त नियम के नियम 3 के उपनियम (i) में, "कंपनी द्वारा अधिनियम में उपाबंधित रखी जाने वाली कोई रकम" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख के अनुसरण में कोई तत्स्थानीय नया बैंक असंदत्त लाभांश खाते में किसी धन का अंतरण जहां ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत रहता है"

4. इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप सं. 1 में "कंपनी" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "कंपनी और तत्स्थानीय नए बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 5/29/2013-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 750(अ) तारीख 1 अक्तूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :-

- (ii) सा.का.नि. सं. 135(अ) तारीख 03.03.2006
- (ii) सा.का.नि. सं. 93(अ) तारीख 20.02.2007
- (iii) सा.का.नि. सं. 787(अ) तारीख 14.11.2008

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2014

- G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642 read with sub-section (3) of Section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund (awareness and protection of investors) Rules, 2001, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund (awareness and protection of investors) Amendment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force with effect from the 31st March, 2014.
- 2. In rule 2 of Investor Education and Protection Fund (awareness and protection of investors) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—
 - '(da) "corresponding new bank" means the corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);'
- 3. In rule 3 of the said rules, in sub-rule (i), after the words "Any money required to be credited by the companies to the fund, as provided in the Act", the following shall be inserted, namely:-
 - "and any money transferred to the Unpaid Dividend Account of a corresponding new bank in pursuance of section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer"
- 4. In Form 1 annexed to said rules, for the word "company", wherever it occurs, the words "company and corresponding new bank" shall be substituted.

[F. No. 5/29/2013-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 750(E), dated the 1st October, 2001 and further amended vide following:—

- (i) GSR 135 (E), dated 03.03.2006
- (ii) GSR 93 (E), dated 20.02.2007
- (iii) GSR 787(E), dated 14.11.2008